ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत सिमनी में निम्नलिखित

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री मनोहर लाल	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री तिलक राज	01-04-2022 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का अवरोधन	06.1	18.66
02.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	20.99
03.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	0.46
04.	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान बारे।	8.3	1.18
05.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.1	36.95
06.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.2	50.51
07.	सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित/अनुचित भुगतान बारे	9.3	3.70
08	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.4	19.15
09	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान करने बारे	9.5	51.36

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-01-2025 से 24-01-2025 तक ग्राम पंचायत सिमनी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के

लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	03/2023	05/2022
2.	2023-2024	02/2024	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 24-01-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सिमनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) **स्वः-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत सिमनी के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत, ICDS, BASP, VKVNY & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**743077.00**	**1529614.00**	**2272691.00**	**1509238.00**	**763453.00**
2023-24	**763453.00**	**664879.00**	**1428332.00**	**650486.00**	**777846.00**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-2023	**1363062.00**	**9957675.00**	**11320737.00**	**9634334.00**	**1686403.00**
2023-2024	**1686403.00**	**6156443.00**	**7842846.00**	**5976197.00**	**1866649.00**

कुल योग (1+2) ₹777846.00 + ₹1866649.00 = ₹2644495.00

(ब) ग्राम पचांयत सिमनी, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	20220100068	HPSCB SUNDLA	**1032966.00**
2.	Watershed Development Fund	99311700006897	HPGB SALOONI	**1652.00**
3.	Own Source, 5th SFC VKVNY,ICDS,MPLAD	18910103720	HPGB SALOONI	**936768.54**
4.		99048100006890	HPGB BRANGAL	**225678.36**
			CASH IN HAND	**2500.00**
			TOTAL	**2199564.90**

अन्तर (अ-ब) ₹2644495.00 - ₹2199564.90 = ₹444930.10

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण अंकेक्षण ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹4.45 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत सिमनी द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹444930.10 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

ग्राम पंचायत सिमनी के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड डेवलपमेंट फंड की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बही को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बही का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें

भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों 5th SFC,ICDS,VKVNY व BASP के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹18.66 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1866649 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.03 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत सिमनी के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹32610 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	3550	550	50	27500	31050	31050	0
2023-24	0	550	50	27500	27500	24300	3200

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियांचना संख्या-12 दिनांक 24-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक

है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है । अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1300/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	09	03@200	-	600	06@25	-	150	750
2023-2024	08	02@200	-	400	06@25	-	150	550
कुल योग	**17**	**05@200**	**-**	**1000**	**12@25**	-	**300**	**1300**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 24-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹1300 की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा

करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹20.99 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत सिमनी के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹2098532 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन

सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.46 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत सिमनी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹2311632/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹46233/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में

अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.18 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Blouders) व Aggrigate की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की क्रमशः 12.5% व 5% की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिमनी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹1317043 के पत्थरों व बजरी का क्रय किया गया परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित Voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप राशि ₹118384 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में पत्थर/बजरी के बिलों में Voids की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल उक्त बिलों बल्कि समस्त बिलों में बिना Voids कटौती के भुगतान किया गया जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान भी किया गया। अत: उक्त अनियमिता को समर्थित अभिलेखों व ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अपेक्षित कटौती न करने के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "10"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायक के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके।

प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹36.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(4) 67(3)(b) तथा 67(5)(a)(b) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय

हेतु विहित औपचारिकतायें यथा कुटेशन/टेंडर आमंत्रित करना, उप-समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹3695111/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमानुसार न होने के दृष्टिगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 22-01-2025 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 हेतु एक बार अखवार में निविदायें आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी भी फर्म से कोई भी कुटेशन प्राप्त न होने के चलते ग्राम पंचायत द्वारा क्रय बिना कुटेशन/टेंडर के किया गया। उत्तर संतोषजक नहीं है अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

प्रस्तुत अभिलेखों व दिये गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल चयनित माहों बल्कि दोनों वर्षों में समस्त स्टोर/स्टॉक का क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि न केवल वित्तीय नियमों की अनदेखी है अपितु बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ न मिलने धन का भी सम्भावित अपव्यय हुआ है। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹ 50.51 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46(2) के अनुसार वाउचर का पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना व नियम 47 तहत सभी दावे बिलों पर तथा बिल 48 के अनुसार सभी बिल, बिल रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने उपरान्त अदायगी हेतु पारित किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत सिमनी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि **₹**5051068 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल कैश मैमों परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर कैश मैमों परफोर्मा बिलों व सादे कागज पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर व बिलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतर भुगतान कैश मैमों परफोर्मा बिल व सादे कागजों पर ही किये गये हैं जोकि कि संदिग्ध प्रतीत होता है टैक्स बिल न होने के कारण क्रय सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST इत्यादि की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 बिना अदायगी आदेश व सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के राशि ₹3.70 लाख का संदिग्ध/अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत सिमनी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "9"** के अनुसार राशि ₹369532 के बिलों का भुगतान बिना किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, प्रस्ताव संख्या, दिनांक, अदायगी आदेश इत्यादि के बिना ही कर दिया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिससे राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त बताया कि, मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत्त अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹19.15 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹1914649 (30.75%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर

तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल व्यय लाखों) (में**	**मजदूरी पर व्यय(लाखोंमें)**	**मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता**	**सामान पर व्ययलाखों) (में**	**सामान पर व्यय प्रतिशतता**
1.	2022-23	82.56	38.37	46.48 %	44.19	53.52%
2.	2023-24	46.34	19.82	42.77 %	26.52	57.23 %
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹1914649**	**+ 30.75%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹51.36 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "8")** राशि ₹5136336/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए

भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹ 3964655.08 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 23-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 23-01-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा

बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत सिमनी के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-01-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध

में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 17-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टरअभिलेख/	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉकसामाग्री / रजिस्टर	06 व 01	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। उक्त अभिलेखों का संधारण न किया

जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिमनी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की

सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

(कृष्ण लाल नेगी) 10.3.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

10 MAR 2025

-1470-1474

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 173/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0।
5. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत सिमनी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 10.3.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Simni for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source, ICDS, 5th SFC,BASP,VKVNY etc.

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	743077.00	1529614.00	2272691.00	1509238.00	763453.00
2023-24	763453.00	664879.00	1428332.00	650486.00	777846.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1363062.00	9957675.00	11320737.00	9634334.00	1686403.00
2023-24	1686403.00	6156443.00	7842846.00	5976197.00	1866649.00
					2644495.00

It is certified that GP Simni has Seven cash books out of which 15th FC,VKVNY,MPLAD,5TH SFC,General (SF,ICDS,BASP,VKVNY & 5th SFC) Online WDF Offline And MGREGA Online

1+2 (777846.00+1866649.00)	Closing Balance as per Cash Books	2644495.00
	Closing Balance as per Bank Passbook	2199564.90
Difference	(Less in Bank Pass books)	444930.10

Checked

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिमणी
विकास खण्ड सलूणी
जिला चम्बा (हि.प्र.)

22

(19)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित							
Financial Position Grants in Aids of GP Simni for the Year to 2022-2023 To 2023-2024							
Sr.No	**Particulars**	**Year**	**Opening**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing**
1	**MGNREGA**	**2022-23**	**0.00**	**8310264.00**	**8310264.00**	**8310264.00**	**0.00**
		2023-24	**0.00**	**4848430.00**	**4848430.00**	**4848430.00**	**0.00**
2	**15TH FC**	**2022-23**	**1169148.00**	**1375701.00**	**2544849.00**	**955720.00**	**1589129.00**
		2023-24	**1589129.00**	**657007.00**	**2246136.00**	**767767.00**	**1478369.00**
3	**MPLAD**	**2022-23**	**3188.00**	**70000.00**	**73188.00**	**70000.00**	**3188.00**
		2023-24	**3188.00**	**300000.00**	**303188.00**	**98000.00**	**205188.00**
4	**VKVNY**	**2022-23**	**129790.00**	**200000.00**	**329790.00**	**298350.00**	**31440.00**
		2023-24	**31440.00**	**350000.00**	**381440.00**	**200000.00**	**181440.00**
5	**WDF**	**2022-23**	**60936.00**	**1710.00**	**62646.00**	**0.00**	**62646.00**
		2023-24	**62646.00**	**1006.00**	**63652.00**	**62000.00**	**1652.00**
			1363062.00	**9957675.00**	**11320737.00**	**9634334.00**	**1686403.00**
			1686403.00	**6156443.00**	**7842846.00**	**5976197.00**	**1866649.00**

Refferedin Para 9.1

Annexure "3" Store/ stock purchase Without Completing Codal Formalities in GP Simni Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.) r/o

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Surinder Kumar	MPLAD	09/			
	PO Baggi, Tehsil Salooni		30-05-2022	JCB Hiring Charges	80000.00	Purchase without Quatations/tender
2	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	129000.00	do
	Khairi, Tehsil Salooni		19-05-2022	Sand Cost & Carrige	48810.00	Do
				Aggre.	20270.00	Do
3	Sh. Kishan Chand	MGREGA	NIL/	Stone	19500.00	Do
	S/o Sh. Chatro		19-05-2022	Cement Carrige	2220.00	Do
4	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	Sariya & CGI Sheets		Do
	Near Khairi Chamab Road		20-06-2023		77440.00	Do
5	M/S Dharam Chand & Sons	ICDS	02/	Steel	125923.00	Do
	Near Khairi Chamab Road		02-05-2022			Do
6	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Sand	138622.00	Do
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022	Stone	103000.00	Do
				Aggre.	190370.00	Do
7	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone	107420.00	Do
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	40634.00	Do
				Sand	63690.00	Do
8	M/S Sanjay Transporter	MGREGA	NIL/	Stone	44999.59	Do
	PO Ohra, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	88155.00	Do
			23-05-2022	Sand	44473.00	Do
9	Smt. Shramaua Devi	MGREGA	NIL/	Stone	14500.00	Do
	w/o Jagdish Kumar		23-05-2022			Do
10	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone	125000.00	Do
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023	Aggre.	113853.00	Do
				Sand	163392.00	Do
11	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	77000.00	Do
	Khairi, Tehsil Salooni		28-06-2023			Do
12	M/S Ranjeet Singh	ICDS	02/	Sand	26400.00	Do
	PO Simni, The. Salooni		02-05-2022			Do
13	M/S Raninder Kumar	VKVNY	07/	Aggre.	21297.00	Do
	VPO Ohra, The. Salooni		04-05-2022	Sand	11142.00	Do
14	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	60mm Paver		Do
	Near Khairi Chamab Road		19-05-2022	101000x18	1818000.00	Do
				TOATL	3695110.59	

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP SIMNI TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	106.50	238.56	129000.00
	Khairi, Tehsil Salooni		19-05-2022	Sand	40.65	65.04	90290.00
				Aggre.	8.20	15.91	20270.00
2	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Sand	56.85	90.96	138622.00
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022	Stone	109.74	245.82	103000.00
				Aggre.	87.01	168.80	190370.00
3	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone	164.00	367.36	107420.00
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	16.44	31.89	40634.00
				Sand	23.88	38.21	63690.00
4	M/S Sanjay Transporter	MGREGA	NIL/	Stone	53.09	118.92	44999.59
	PO Ohra, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	44.72	86.76	88155.00
			23-05-2022	Sand	22.90	36.64	44473.00
5	Sh. Kishan Chand	MGREGA	NIL/	Stone	23.01	51.54	19500.00
	S/o Sh. Chatro		19-05-2022				
6	Smt. Shramaua Devi	MGREGA	NIL/				
	w/o Jagdish Kumar		23-05-2022	Stone	17.20	38.53	14500.00
7	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone	147.50	330.40	125000.00
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023	Aggre.	58.87	114.21	113853.00
				Sand	55.87	89.39	163392.00
8	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	77.00	172.48	77000.00
	Khairi, Tehsil Salooni		28-06-2023				
9	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	160.00	358.40	80000.00
	Vill. Jandera PO Simni		21-06-2023	Sand	89.66	143.46	243481.00
				Aggre.	43.45	84.29	142044.00
10	M/S Ranjeet Singh	ICDS	02/	Sand	12.46	19.936	26400.00
	PO Simni, The. Salooni		02-05-2022				
11	M/S Raninder Kumar	VKVNY	07/	Aggre.	8.62	16.7228	21297.00
	VPO Ohra, The. Salooni		04-05-2022	Sand	4.51	7.216	11142.00
				TOTAL	1432.13	2931.44	2098532.59

सचिव
सिमनी
सलूणी
(हि.प्र.)

Annexure "5" Refferred in Para number 8.2

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Simni, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	09/ 30-05-2022	MPLAD	M/S Surinder Kumar PO Baggi , Salooni, Chamba	Hiring Charges of JCB	80000.00	1600.00	IT Act 1961 Section 194 I
2	Nil/ 19-05-2022	MGNREGA	M/S Kuldeep Singh Village Jandera PO Simni Chamba	Stone Carrige	33000.00	660.00	IT Act 1961 Section 194 C
3	Nil/ 19-05-2022	MGNREGA	M/S Barjesh Motors Khairi, Tehsil Salooni	Stone Carrige	75000.00	1500.00	do
4	Nil/ 19-05-2022	MGNREGA	M/S Kuldeep Raj T.P.T. VPO Simni The. Salooni	Agg & Sand Carrige	72604.00	1452.08	do
5	Nil/ 23-05-2022	MGNREGA	M/S Sanjay Kumar PO Ohra, Tehsil Salooni	Agg & Sand Carrige	117028.00	2340.56	do
6	Nil/ 21-06-2023	MGNREGA	Sh. Kamal Raj s/o Gyano Village Suhra PO Ohra	Sand, Agg. & Interlock Tiles Carrige	116000.00	2320.00	do
7	NIL/ 19-05-2022	MGNREGA	M/S Dharam Chand & Sons Near Khairi Chamab Road	Interlock Tiles 85000no @18	1530000.00	30600.00	GST Act 2017 Section 51 A
8	NIL/ 19-05-2022	MGNREGA	M/S Dharam Chand & Sons Near Khairi Chamab Road	Interlock Tiles 16000no @18	288000.00	5760.00	do
				TOTAL	**2311632.00**	**46232.64**	

26

Annexure "6" Reffered in Para No. 8.3 Payment made without Deducted Voids in Stone & Aggrigate In R/O GP Simni Development Block Salooni Distt. Chamba H.P.

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	Voids 5% & 12.5%	Amount Should be Paid
1	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	106.50	238.56	129000.00	16125.00	112875.00
	Khairi, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	8.20	15.91	20270.00	1013.50	19256.50
2	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	109.74	245.82	103000.00	12875.00	90125.00
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022	Aggre.	87.01	168.80	190370.00	9518.50	180851.50
3	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone	164.00	367.36	107420.00	13427.50	93992.50
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	16.44	31.89	40634.00	2031.70	38602.30
4	M/S Sanjay Transporter	MGREGA	NIL/	Stone	53.09	118.92	44999.59	5624.95	39374.64
	PO Ohra, Tehsil Salooni		19-05-2022	Aggre.	44.72	86.76	88155.00	4407.75	83747.25
5	Sh. Kishan Chand	MGREGA	NIL/	Stone	23.01	51.54	19500.00	2437.50	17062.50
	S/o Sh. Chatro		19-05-2022						
6	Smt. Shramaua Devi	MGREGA	NIL/					0.00	0.00
	w/o Jagdish Kumar		23-05-2022	Stone	17.20	38.53	14500.00	1812.50	12687.50
7	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/					0.00	0.00
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023	Stone	147.50	330.40	125000.00	15625.00	109375.00
8	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Aggre.	58.87	114.21	113853.00	5692.65	108160.35
	Khairi, Tehsil Salooni		28-06-2023	Stone	77.00	172.48	77000.00	9625	67375.00
9	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/						0.00
	Vill. Jandera PO Simni		21-06-2023	Stone	160.00	358.40	80000.00	10000	70000.00
10	M/S Raninder Kumar	VKVNY	07/	Aggre.	43.45	84.29	142044.00	7102.2	134941.80
	VPO Ohra, The. Salooni		04-05-2022	Aggre.	8.62	16.7228	21297.00	1064.85	20232.15
				TOTAL	1125.35	2440.59	1317042.59	118383.60	1198658.99

Remarks : As per CPWD 2.1.2.13 Percentage of reduction in Volume Computed by stack measurements to arrive at the volume to be paid for

Standrad Size of Aggregate	% of Reduction
1 Stone Aggrigate 75mm & 63 mm	12.50%
2 Aggregate 20mm, 12mm, 10mm & 6mm	5%

सचिव
सिमनी
सलूणी
जिला चम्बा (हि.प्र.)

पैरा संख्या 9.2 में सम्मिलित

Annexure "7" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Simni Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Surinder Kumar	MPLAD	09/	JCB Hiring	80000.00	Cash Memo
	PO Baggi, Tehsil Salooni		30-05-2022	Charges		
2	Sh. Kishan Chand	MGREGA	NIL/	Stone		do
	S/o Sh. Chatro		19-05-2022	Cement Carrige	19500.00	Plain Paper
3	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	60mm Paver	2220.00	do
	Near Khairi Chamab Road		19-05-2022	101000x18		do
4	M/S H.P. State Civil Supply	MGREGA	NIL/	1700	1818000.00	Performa bill
	Corportastion Ltd.		19-05-2022	Cement Bags	663680.00	Delivery Challan
5	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	40 nos PVC Pipe		do
	Near Khairi Chamab Road		19-05-2022			Photostate of
6	M/S Agro Industry Corporati	MGREGA	NIL/	Angle & CGI	60800.00	Performa bill
	PO Bhalei, Chamba		20-06-2023	Sheets		do
7	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Sand, Agg &	31269.00	Performa bill
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023	Cement Carrige		do
8	Sh. Kamal Raj s/o Gyano	MGREGA	NIL/	Sand & Agg.	129982.00	Photostate of
	Village Suhra PO Ohra		21-06-2023	Carrige		Performa bill
9	M/S Ranjeet Singh	ICDS	02/	Sand & Cement	84000.00	Plain Paper a/w Rec
	PO Simni, The. Salooni		02-05-2022	Carrige		do
10	M/S Dharam Chand & Sons	ICDS	02/	Steel	30000.00	Performa bill
	Near Khairi Chamab Road		02-05-2022		125923.00	do
11	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	Khairi, Tehsil Salooni		19-05-2022		239560.00	do
12	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022		431992.00	do
13	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022		211744.00	do
14	M/S Sanjay Transporter	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	PO Ohra, Tehsil Salooni		19-05-2022		177627.59	do
15	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023		402245.00	do
16	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone		do
	Khairi, Tehsil Salooni		28-06-2023		77000.00	do
17	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand		do
	Vill. Jandera PO Simni		21-06-2023		465525.00	do
				TOTAL	5051067.59	

पैरा संख्या 9.5 में सन्दर्भित

Annexure "8" Payment made without Passing Order and Joint Signature in R/o GP Simni Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Surinder Kumar	MPLAD	09/	JCB Hiring	80000.00
	PO Baggi, Tehsil Salooni		30-05-2022	Charges	
2	Sh. Kishan Chand	MGREGA	NIL/	Stone	19500.00
	S/o Sh. Chatro		19-05-2022	Cement Carrige	2220.00
3	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	60mm Paver	
	Near Khairi Chamab Road		19-05-2022	101000x18	1818000.00
4	M/S H.P. State Civil Supply	MGREGA	NIL/	1700	663680.00
	Corportastion Ltd.		19-05-2022	Cement Bags	
5	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Cement Carrige	
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022	516	48842.00
6	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Cement Carrige	
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022	298	14526.00
7	M/S Sanjay Kumar	MGREGA	NIL/	Cement Carrige	21900.00
	PO Ohra Tehsil Salooni		19-05-2022	365	
8	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	NIL/	40 nos PVC Pipe	
	Near Khairi Chamab Road		19-05-2022		60800.00
9	M/S Agro Industry Corporation	MGREGA	NIL/	Angle & CGI	
	PO Bhalei, Chamba		20-06-2023	Sheets	31269.00
10	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Sand, Agg &	
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023	Cement Carrige	129982.00
11	Sh. Kamal Raj s/o Gyano	MGREGA	NIL/	Sand & Agg.	
	Village Suhra PO Ohra		21-06-2023	Carrige	84000.00
12	M/S Ranjeet Singh	ICDS	02/	Sand & Cement	
	PO Simni, The. Salooni		02-05-2022	Carrige	30000.00
13	M/S Dharam Chand & Sons	ICDS	02/	Steel	125923.00
	Near Khairi Chamab Road		02-05-2022		
14	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	239560.00
	Khairi, Tehsil Salooni		19-05-2022		
15	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	431992.00
	Vill. Jandera PO Simni		19-05-2022		
16	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	211744.00
	VPO Simni, Tehsil Salooni		19-05-2022		
17	M/S Sanjay Transporter	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	177627.59
	PO Ohra, Tehsil Salooni		19-05-2022		
18	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	402245.00
	VPO Simni, Tehsil Salooni		21-06-2023		
19	M/S Barjesh Motors	MGREGA	NIL/	Stone	77000.00
	Khairi, Tehsil Salooni		28-06-2023		
20	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone, agg & Sand	465525.00
	Vill. Jandera PO Simni		21-06-2023		
				TOTAL	5136335.59

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिम्नी
विकास खण्ड सलूणी
जिला चम्बा (हि.प्र.)

पैरा संख्या 9.3 में सन्दर्भित

Annexure "9" Payment made without Passing Order and any Signature in R/o GP Simni Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	Bill No. Date	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Kuldeep Raj T.P.T.	MGREGA	380	NIL/		
	VPO Simni, Tehsil Salooni		01-04-2022	28-06-2023	Stone 147.50m3	125000.00
2	M/S Dharam Chand & Sons	MGREGA	96	NIL/		
	Near Khairi Chamab Road		06-10-2022	19-05-2022	17 Nos CGI Sheets	27200.00
3	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	656 & 667	NIL/		
	Vill. Jandera PO Simni	01-08-2022	11-07-2022	21-06-2023	Sand 7.57m3	18703.00
4	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	696	NIL/	Agg. 8 m3	19773.00
	Vill. Jandera PO Simni		18-11-2022	27-06-2023	Sand 12.30m3	34745.00
					Agg.4.11 m3 & Cement Carrige	12511.00
5	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	677	NIL/	Sand 940 ft	65800.00
	Vill. Jandera PO Simni		11-07-2022	27-06-2023		
6	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	674	NIL/	Sand 940 ft	65800.00
	Vill. Jandera PO Simni		09-06-2022	27-06-2023		
					TOTAL	**369532.00**

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिम्नी
विकास खण्ड सलूणी
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "10" पैरा संख्या 2.4 में सन्दर्भित

Sr. No.	Head	Name of Work	Sanction Amount	Total Expenditure	Documents not presented
1	MGREGA	Check Dam at patta	500000	460966	MB, Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Form 13C in Format-34, FRA etc.
2	MGREGA	Irragation tank of Majeed Muh. At Vill. Dadog	200000	171193	
3	MGREGA	Roof Rain Water Storege Tank Ramesh Kumar S/o Salo	80000	78040	
4	MGREGA	Land Dev. Work at Vill. Gadiyara Kut	300000	255615	
5	MGREGA	Land Dev. Work Dadog 1st 2nd and 3rd	300000	246142	
6	MGREGA	Pacca Path with Drain at Village Upper Drabila	400000	362807	
7	MGREGA	Pacca Path Lahadi to Gharan	400000	397554	
8	MGREGA	Pacca Path Main road to upper Chamoh	400000	395475	
9	MGREGA	Pacca Path with interlock Tiles main Road to Gadiyara	500000	498295	
10	MGREGA	inter lock Tiles at Vill. Drabila	500000	491151	
11	MGREGA	Inter lock Tiles at Vill. Patta 1st 2nd 3rd	500000	497894	
12	MGREGA	Pacca Path Bakhora to Bhatti	500000	490000	
13	MGREGA	inter lock Tiles main road to Nichala Janderda	500000	481644	
14	MGREGA	Pacca Path with interlock Tiles at Vill. Chananu	500000	452168	
15	MGREGA	Pacca Path interlock Tiles at Vill. Gund	500000	444793	
16	MGREGA	Protection Drain with Pacca Path Chananu	300000	259014	
17	MGREGA	Drain with Path at Vill. Ghranh	150000	133592	
18	MGREGA	Pacca Path Nag Bani Dehra	300000	225981	
19	MGREGA	Pacca Path Gund to GSSS Chananu	200000	171371	
20	MGREGA	Pacca Path with Drain near by Chimnu house at Drabila	400000	377120	
21	MGREGA	Protection Drain with Pacca Path road to Nichala Dohal	400000	351773	
22	MGREGA	Cattle Shed Jaram singh R/o Dadog	100000	86935	
23	MGREGA	Cattle Shed Viju Devi w/o Nitan Kumar	100000	98356	
24	MGREGA	Cattle Shed tibhi w/o Desh Raj R/o Khajura	100000	96234	
25	MGREGA	Community land dev. Work at Vill. Gund	300000	277552	
26	MGREGA	Land Dev. Work at Vill. Parli Simni Kapahdi	400000	330259	
27	MGREGA	Land Dev. Work at Vill.Dharina	300000	252848	
28	MGREGA	Land Dev. Work at Vill.Janderda	400000	344002	
29	MGREGA	Link Road at Vill. Deharu and Dharmothi	500000	448949	
30	MGREGA	Interlock tiles main road to Panchayat Ghar	500000	490005	
31	MGREGA	Pacca Path Bakhora to Bhatti	400000	366489	
32	MGREGA	Stroage Tank at Vill. Granh	200000	165031	
33	MPLAD	C/o Pucca Path Village Simni with Interlocking tiles	400000	400000	
34	MPLAD	C/o Link Road main Road Gadiyada to dehru Dharmothi	250000	250000	
35	VKVNY	C/o Pucca Path Channau to Shiv Mandir	200000	200000	
36	ICDS	C/o Anganwadi Bhavan at Jandreda			
			713000	713000	
		TOTAL	**12693000**	**11762248**	

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिम्नी
विकास खण्ड सलूणी
जिला चम्बा (हि.प्र.)